



भारतीय रेल
डीजल रेल इंजन कारखाना
वाराणसी-221004, भारत |
Indian Railways (Government of India)
Diesel Locomotive Works
Varanasi-221004, India.



Office : General Manager/(P).

Tele : 0542-2642700

Fax : 0542-2270102

E mail : cpo@dlw.railnet.gov.in

Date : 02.09.2020

आईआरईएम-1-07

सं० :म.प्र.(का.)/ई.आर./ आईआरईएम-1 -भाग-1

सर्वसंबंधित

डीरेका/वाराणसी, सियालदह एवं कैम्प कार्यालय
नई दिल्ली |

प्रतिलिपि :-

- संयुक्त सचिव कर्मचारी परिषद एवं अन्य सदस्यगण |
- सचिव अनु.जाति./अनु.ज.जा. एसोसिएशन एवं सचिव अ.पि.व.एसोसिएशन |
- सचिव सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी एसोसिएशन |

विषय:-रेल कर्मचारी हित निधि से संबंधित प्रावधानों में संशोधन-भारतीय रेल स्थापना संहिता,
जिल्द-1,1985 संस्करण (द्वितीय पुनः मुद्रित संस्करण -2003) का अध्याय 8 के
संबंध में |

उपरोक्त विषय में रेल मंत्रालय के पत्र सं०:-ई(डब्ल्यू)2019/एफ्यू-1/2, दिनांक-05.08.2020
की प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं मार्गदर्शन हेतु प्रेषित है |

The above circular can be seen through the direction given below
website of the DLW-<https://dlw.indianrailways.gov.in/>

Department → Personnel → Establishment Circular

संलग्न :-02 पेज

(एम.ए.अंसारी)

सहायक कार्मिक अधिकारी/कर्मशाला

प्रतिलिपि निम्नलिखित के सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- व.कर्म.एवं क.नि., म.प्र.(का.)

Digitally signed by MOHD

ASLAM ANSARI
कृत महाप्रबंधक (कार्मिक)

Date:Wed Sep 02 16:08:51 IST
2020

Reason: Approved

प्र. सु. कर्म. वि. = 1/12

12
24.08.20

आरबीई सं. 57/2020

अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 142

26

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड)/(RAILWAY BOARD)

ई(डब्ल्यू)2019/एफयू-1/12

नई दिल्ली, दिनांक 5.08.2020

DLW

महाप्रबंधक (कार्मिक),
सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां

विषय: रेल कर्मचारी हित निधि से संबंधित प्रावधानों में संशोधन- भारतीय रेल स्थापना संहिता, जिल्द-1, 1985 संस्करण (द्वितीय पुनः मुद्रित संस्करण- 2003) का अध्याय 8.

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देते हैं कि भारतीय रेल स्थापना संहिता, जिल्द-1, 1985 संस्करण के नियम 807 एवं 808 को संलग्न अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 142 के अनुसार संशोधित किया जाए। यह संशोधन दिनांक 05.08.2020 के पत्र सं. ई(डब्ल्यू)2019/एफयू-1/12 के तहत जारी अनुदेशों की तारीख से प्रभावी होगा।

कृपया पावती दें।

संलग्न: यथोक्त

प्र० मु० यो० इंजी० P.C.M.E.	प्र० मु० का० अवि० P.C.P.O.	0
प्र० वि० सं० P.F.A.	प्र० मु० वि० इंजी० P.C.E.E.	
प्र० मु० सा० प्र० P.C.M.M.	प्र० मु० इंजी० P.C.E.	

रजनी मक्कड़
(रजनी मक्कड़) 5/8/2020

निदेशक स्थापना (कल्याण)
रेलवे बोर्ड

24/8

भारतीय रेल स्थापना संहिता जिल्द -I, 1985 संस्करण
(द्वितीय पुनःमुद्रित संस्करण- 2003)
अध्याय-8

रेल कर्मचारी हित निधि

अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 142

नियम 807 और नियम 808 में निम्नलिखित खंड को जोड़ा जाए:

रेल मंत्रालय का निर्णय 3:-

कर्मचारी हित निधि की समिति बैठकों/कैम्पों में नामित सदस्य के स्थान पर उसका स्थानापन्न लेने पर कोई आपत्ति नहीं है बशर्ते कि संबंधित एसोसिएशनों अर्थात् एआईएससीएसटीआरईए एवं एआईओबीसीआरईए द्वारा अग्रिम में इसके कारण तथा वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में विधिवत् रूप से सूचना दी जाए।

{प्राधिकार: बोर्ड का पत्र सं. ई(डब्ल्यू)2019/एफ्यू-1/12, दिनांक 05.08.2020 (आरबीई सं.57/2020)}